जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रुखाबाद

सेवा में प्रबन्धक प्रियंका कान्वेन्ट ज०हा० स्कूल

पत्रांक शि०म०/नवीन मान्यता/ 3623-2 /88-89 दिनांक 30-6-90

विषय:- जूनियर हाई स्कूल स्तर की नवीन स्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदनपत्र पर क्षेत्रीय निरीक्षक/निरीक्षिका, उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका, शिक्षा अधीक्षक की आख्या एवं संस्तुति पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक में विचार किया गया । समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल स्तर की नवीन स्थाई मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है ।

आपके द्वारा प्रतिबन्धों की आपूर्ति के प्रयास में शिथिलता आ जाने तथा विभागीय नियमों के उलंघन करने पर स्थाई मान्यता को समाप्त करने का अधिकार समिति में सुरक्षित है ।

प्रतिबन्ध

1- विज्ञान उपकरण उपयुक्त मात्रा में व अच्छे स्तर के नहीं है तथा विज्ञान शिक्षण हेतु विज्ञान कक्ष उपलब्ध नहीं है । व्यवस्था की जाय ।
2- पुस्तकालय की स्थिति अच्छी नहीं है । इसकी व्यवस्था की जाय ।
3- प्राभूत का मूल्यांकन व उससे प्राप्त आय का लेखा नहीं रखा जाता है, लेखा रखा जाय ।
4- भवन की स्थिति निर्देशानुसार तीन सालों में पूर्ण करें ।
5- अनधिकृत कक्षायें लगाने का प्रयास न किया जाय ।
6- खेलों से सम्बन्धित उपकरण व मैदान की स्थिति उपयुक्त नहीं है ।
7- विभागीय नियमों का ~~[illegible]~~ विधिवत पालन न करने पर मान्यता निरस्त कर दी जावेगी ।
8- विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा छात्र कोषों का धन छात्रों से प्राप्त किया जाय ।

अन्य

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रुखाबाद

पृ० सं० शि०म०/नवीन मान्यता/ /88-89 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद ।
2- उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका /क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जनपद फर्रुखाबाद